छत्तीसगढ़ सूचना आयोग

निर्मल छाया भवन, मीरा दातार रोड़

शंकर नगर, रायपुर

अपील प्रकरण कमांक 603/2007

1. श्री हरिशंकर सिंह, - *अपीलार्थी*
सेoनिo वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक,
पुरानी भट्ठी रोड़, आजाद चौक,
जायसवाल काम्प्लेक्स,
जगदलपुर (छत्तीसगढ़)

विरूद्ध

1. *जन सूचना अधिकारी,* - *प्रति अपीलार्थी*
छoगo शासन, सहकारिता विभाग,
मंत्रालय, रायपुर (छत्तीसगढ़)

//आदेश//

(दिनांक 10 जून, 2008)

प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी श्री हरिशंकर सिंह द्वारा जानकारी प्राप्त करने के लिए दिनांक 29.03.2007 को जन सूचना अधिकारी, छoगo शासन, सहकारिता विभाग, मंत्रालय के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया था, उक्त आवेदन पर समयावधि में जानकारी नही मिलने के कारण उनके द्वारा प्रथम अपील दिनांक 16.05.2007 को प्रस्तुत की गई, उक्त अपील पर प्रथम अपीलीय अधिकारी ने दिनांक 18.06.2007 को आदेश पारित किया, किन्तु उक्त आदेश के अनुरूप बाद में जानकारी नही मिलने के कारण उससे असंतुष्ट होकर आयोग के समक्ष दिनांक 09.07.2007 को यह द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण से संबंधित रिकार्ड का अवलोकन किया गया और उभय पक्ष की सुनवाई की गई । पूर्व में शासन स्तर पर एक अपील लंबित होने के कारण जानकारी नही दी गई थी, अतः आयोग द्वारा निर्देश दिये गये थे कि 15 दिवस में निःशुल्क जानकारी प्रदाय की जावे और शासन स्तर पर जो अपील लंबित हो, उसके बारे में शीघ्र निर्णय लिया जाकर निर्णय की जानकारी अपीलार्थी को दी जावे । प्रकरण में मौखिक तर्कों के समय अपीलार्थी अधिकांश तर्क रजिस्ट्रार और सचिव, सहकारिता द्वारा लिये गये निर्णय पर टिप्पणियों के रूप में थे, जिनका संबंध सूचना का अधिकार अधिनियम से नही है और जन सूचना अधिकारी भी वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा लिये गये निर्णय पर किसी प्रकार की टिप्पणी नही कर सकते हैं । प्रकरण में सुनवाई के समय यह स्पष्ट हुआ कि अधिकांश बिन्दुओं पर जानकारी दी जा चुकी है, केवल दो बिन्दुओं पर जानकारी नही दी गई है, एक तो बिन्दु कमांक-11 में जवाबदावा माo उच्च

न्यायालय में दायर रिट याचिका में प्रस्तुत हुआ है अथवा नही ? यदि हुआ है तो उसकी प्रति अपीलार्थी को दी जावे । इस संबंध में रिट याचिका की प्रति अथवा जवाबदावा के संबंध में स्पष्ट रूप से जानकारी अपीलार्थी को 15 दिवस में निःशुल्क प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं । इसी प्रकार बिन्दु क्रमांक-7 में जांच प्रतिवेदन में दावों को शामिल नही करने के आदेश और औचित्य की प्रति भी नही दी गई है, इस बारे में भी प्रतियाँ दी जावे । साथ ही यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि अपीलार्थी को इससे संबंधित सभी रिकार्ड का यदि निरीक्षण करना चाहे तो 15 दिवस के अन्दर निःशुल्क निरीक्षण कराया जावे, इसके बाद जिन दस्तावेज, आडरशीट एवं नोटशीट की प्रतियाँ वे संबंधित बिन्दुओं पर चाहे तो वह भी निःशुल्क 15 दिवस में प्रदान की जावे। प्रकरण में प्रतिअपीलार्थी के उत्तर को देखते हुये किसी प्रकार की शास्ति की आवश्यकता नही है, किन्तु विलंब एवं कुछ अपूर्ण जानकारी के कारण अपीलार्थी को हुई आर्थिक/मानसिक क्षति के लिए अधिनियम की धारा-19(8)(ख) के अन्तर्गत विभाग की ओर से राशि 400/- रूपये क्षतिपूर्ति के रूप में अपीलार्थी को प्रदान करने के निर्देश दिये जाते हैं ।

3/ उपरोक्त निर्देशों के साथ उक्त अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है ।

(ए0के0 विजयवर्गीय)
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त